भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 30
सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025 (10 अग्रहायण, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

कोलकाता विमानपत्तन के रनवे पर बाधा और टर्मिनल का पुनर्विकास

30. श्री सामिक भट्टाचार्य:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोलकाता विमानपत्तन के परिचालन क्षेत्र में वैकल्पिक रनवे के समीप स्थित मस्जिद उक्त रनवे के सुरक्षित विस्तार और पूर्ण उपयोग में बाधा बन रही है;

(ख) यदि हाँ, तो बारंबार दिए गए नोटिसों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद मस्जिद को हटाने या स्थानांतरित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नए एकीकृत टर्मिनल के निर्माण के प्रस्ताव के बावजूद कोलकाता विमानपत्तन के पुराने टर्मिनल भवनों को तोड़ने में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त देरी के क्या कारण हैं और टर्मिनल भवनों को तोड़ने तथा नए टर्मिनल परियोजना की शुरुआत के लिए संशोधित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख)**:** कोलकाता हवाईअड्डे में दो समानांतर रनवे अर्थात प्राइमरी रनवे (19एल-01आर) और सेकेंडरी रनवे (19आर-01एल) हैं। प्राइमरी रनवे को नियमित, दैनिक हवाईअड्डा प्रचालनों के लिए निर्धारित किया गया है। सेकेंडरी रनवे का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब प्राइमरी रनवे उपलब्ध न हो, जैसे कि अनुसूचित रखरखाव गतिविधियों के दौरान। सेकेंडरी रनवे के एप्रोच क्षेत्र में एक मस्जिद स्थित है जो उत्तरी दिशा की सीमा को 88 मीटर तक विस्थापित करती है।

(ग) और (घ)**:** इस मामले को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोलकाता हवाईअड्डे पर पुराने टर्मिनल भवनों के विध्वंस के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने हेतु नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के समक्ष उठाया गया है। ध्वस्तीकरण और नई टर्मिनल परियोजना को शुरू करने की समय सीमा इन अनुमोदनों पर निर्भर है।

*****